न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
82 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	24.11.2017	20.04.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री रामलाल जाट पुत्र श्री पोखरलाल जाट जाति जाट निवासी बस स्टैण्ड बमोर तह. व जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स शिवानी एन्टरप्राईजेज बस स्टैण्ड बमोर तह. व जिला टोंक
2—मैसर्स शिवानी एन्टरप्राईजेज बस स्टैण्ड बमोर तह. व जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा (ii) दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा49)

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थी स्वयं।

:—निर्णय—:

दिनांक 20.04.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.05.2017 को समय 04:00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शिवानी एन्टरप्राईजेज बस स्टैण्ड बमोर तह. व जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री रामलाल जाट पुत्र श्री पोखरलाल जाट मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को मैसर्स शिवानी एन्टरप्राईजेज बस स्टैण्ड बमोर तह. व जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में स्वीटैण्ड ड्रिन्किंग वाटर के साथ—साथ लगभग 50 कार्टून पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1 लीटर पैक के **पैकेज ड्रिन्किंग वाटर (सर्वो ऐक्वा ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री रामलाल जाट को गवाह के समक्ष फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर आवेदक ने नोटिस की प्रति दी जिस पर विक्रेता श्री रामलाल जाट एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:45:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान में रखे 1 लीटर मूल पैक के लगभग 50 कार्टून पैक्ड अवस्था में से दो कार्टून खोलकर **पैकेज ड्रिन्किंग वाटर (सर्वो ऐक्वा ब्राण्ड)** के बैच नम्बर 00049 एवं पैकिंग की दिनांक 31.03.2017 थी को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 1 लीटर पैक की 16 बोवल मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री रामलाल जाट को रूपये 160/– अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक ने खरीदशुदा **ड्रिन्किंग वाटर (सर्वो ऐक्वा ब्राण्ड)** की 16 बोतल मूल पैक प्रत्येक 1 लीटर पैक को चार–चार बोतल के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तेयार कर प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–1664 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री रामलाल जाट तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1664 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता श्री रामलाल जाट एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर दिनांक 08.05.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./17/2219 दिनांक 01.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय एवं जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1047/एक्ट/2017/1114 दिनांक 17.05.2017 के अनुसार विक्रेता श्री रामलाल जाट से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **ड्रिन्किंग वाटर (सर्वो ऐक्वा ब्राण्ड) मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **ड्रिन्किंग वाटर (सर्वो ऐक्वा ब्राण्ड)** विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया जिसे नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:45:45 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुआ। किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **ड्रिन्किंग वाटर (सर्वो ऐक्वा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **ड्रिन्किंग वाटर (सर्वो ऐक्वा ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रामलाल जाट पुत्र श्री पोखरलाल जाट जाति जाट निवासी बस स्टैण्ड बमोर तह. व जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स शिवानी एन्टरप्राईजेज बस स्टैण्ड बमोर तह. व जिला टोंक पर शास्ति 12,500 (अक्षरे साढे बारह हजार रू0)आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.04.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04..2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

20.04.2022

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:45:45 IST
Reason: SelfAttested